संख्या :1643 बी./क0नि0–6–2017–01(बी)/2017

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह मौर्य
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक कृषि,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनु–6 लखनऊः दिनांक 27 अक्टूबर, 2017

विषयः "लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत् विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना के सम्बन्ध में"।

महोदय,

ऋण मोचन योजनान्तर्गत जिला स्तरीय समितियों द्वारा (www.upkisankarjrahat.upsdc.gov.in) पोर्टल पर ऋण प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से पूर्व में प्रेषित डिजिटली हस्ताक्षर डाटा में कतिपय प्रविष्टियों के संशोधन करने के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं, ज्ञातव्य है कि योजनान्तर्गत समस्त ऋण प्रदाता संस्थाओं को डिजिटली हस्ताक्षरित डाटा जनपदों में प्रेषित करने से पूर्व पर्याप्त संशोधन करने का अवसर दिया गया था। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग ऐसे समस्त प्रकरणों में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कृत कार्यवाही से संस्थागत वित्त विभाग को अवगत कराये।

यहाँ यह भी अवगत कराना समीचीन होगा कि यदि पूर्व में ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा प्रेषित डिजिटली वैलिडेटिड डाटा में से किसी त्रुटि के कारण यदि कोई पात्र व्यक्ति लाभान्वित होने से वंचित रह गया हो तो सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा ऋण मोचन योजनान्तर्गत शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से अपना प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला स्तरीय समिति को संदर्भित किया जायेगा। जिस पर जिला स्तरीय समिति इस योजना में निहित मापदण्डों के अनुरूप अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

अतः उपरोक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से तद्विषयक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।

संख्याः बी(1)/क0नि0–6–2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त/राजस्व/सूचना/आई0टी0 एवं इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग
4. महानिदेशक संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ0प्र0।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।